तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31/1/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा के आदेशिका का परिणाम हो गया प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतिरिक्त गवाह/शिकायती पहचान वकील आरोपी ने की जाने से प्रकरण से प्रस्तावित मुलजिम भी व्यपगत हो चुका है। अतः आवेदन 482 CrPC का कोई औचित्य नहीं है अतः आवेदन 482 CrPC का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	राजसिंघानिया के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं राजसिंघ एडवोकेट 31/1/22.